रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082025-265217
CG-DL-E-05082025-265217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3512] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2025/श्रावण 14, 1947
No. 3512] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2025/SHRAVANA 14, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

का.आ. 3598(अ).— केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31), की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को हरियाणा राज्य में यथा प्रवृत्त, हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2016 (2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15), का चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विस्तार करती है, अर्थात:-

उपांतरण

1. सम्पूर्ण, हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) में, "पिछड़े वर्ग", शब्दों के स्थान पर, "अन्य पिछड़े वर्ग", शब्द रखे जायेंगे।

2. उक्त अधिनियम की धारा 1 में, "अधिनियम 2016" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र तक विस्तारित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात:-

"2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "प्रशासक" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "नियुक्ति" से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति अभिप्रेत है:

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला देने या सेवाओं में नियुक्ति देने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी या, यथास्थिति, धारा 8 और धारा 9 के अधीन प्रशासक द्वारा सशक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "क्रीमी लेयर" से अन्य पिछड़े वर्गों के अंतर्गत व्यक्तियों का ऐसा वर्ग अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ङ) "शैक्षणिक संस्थाओं" से चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के नियंत्रण के अधीन कार्यरत सभी उच्चतर शैक्षणिक या तकनीकी या चिकित्सा संस्थाओं के साथ-साथ सरकारी सहायताप्राप्त संस्थाएं अभिप्रेत हैं, जो चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही हैं;

(च) "अन्य पिछड़े वर्गों" से नागरिकों के ऐसे वर्ग अभिप्रेत हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में यथाविनिर्दिष्ट हैं;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "सेवाओं" से प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सेवाएं अभिप्रेत है।

4. उक्त अधिनियम की धारा 5 में,

(क) उप-धारा (1) के खंड (ख) में, 'राज्य' शब्द के स्थान पर, "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-धारा 2 में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उप-धारा 3 का लोप किया जाएगा।

5. उक्त अधिनियम की धारा 6 में, "राज्य सरकार" शब्द के स्थान पर, "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

6. उक्त अधिनियम की धारा 8 में,

(क) उप-धारा (1) में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (4) में, "भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 की उप-धारा (28)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

7. उक्त अधिनियम की धारा 9 में, "पिछड़ा वर्ग" शब्दों के स्थान पर "अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त अधिनियम की धारा 10 में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

9. उक्त अधिनियम की धारा 11 में, "राज्य सरकार" शब्द के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

10. उक्त अधिनियम की धारा 12 में,

(क) उपधारा (1) में, "सरकार" शब्द के स्थान पर, "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

(ख) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी:–

"इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब सत्र चल रहा हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक क्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त क्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के समापन के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने पर सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम, तत्पश्चात, यथास्थिति उसी संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा, अथवा अप्रभावी होगा, तथापि इस तरह के किसी भी संशोधन या निरसन का उस नियम के अधीन पहले से किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11. उक्त अधिनियम की धारा 13 में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे।

12. उक्त अधिनियम की धारा 14 में 'राज्य' शब्द का लोप किया जाएगा।

13. उक्त अधिनियम की धारा 15 में, "सरकार" शब्द के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

14. उक्त अधिनियम में, "अनुसूची I, II और III" के स्थान पर नीचे दी गई "अनुसूची" रखी जाएगी:–

"अनुसूची

[धारा 3, 4, 5, 8, 9, 13 *देखिए*]

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची

प्रविष्टि संख्या	**जाति/ समुदाय**
1.	अहेरिया, अहेरी, हेरी, नायक, थोरी अथवा तुरी
2.	बग्रिया / बगारिया
3.	बेरागी, बरागी / बरेगी
4.	बरई, तम्बोली/ तोम्बोली, तरबोली
5.	बर्रा, बर्रेर
6.	बरवार
7.	बटेरा / बट्टेरा
8.	बिटा, हेन्सी / हान्सी या हेसी
9.	भरभूंज, भरभूज, भरभूरिया
10.	भट, भत्रा, दरपी, रमिया
11.	भहलिया-लोहार, भुबलिया- लोहार
12.	चांग, चाहंग
13.	चांगर, चाम्गर
14.	छिम्बा / चिम्बा, छिप्पी / छिपी / चिपी, दर्जी / दर्ज, टैंक, चिम्पा, चिबा (हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई)
15.	चिरिमार / त्रिमार
16.	अनुसूचित जातियों से परिवर्तित ईसाई
17.	दैया

18.	दकौत / दहकौत
19.	धीमार, धींवर, झींवर, कहार, मल्लाह, कस्ये राजपूत
20.	धोबी
21.	धोसाली, दोसाली, भोसाली (हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई)
22.	फकीर
23.	गदरिया / गद्दरिया, गड्डेरिया
24.	गवाला / ग्वाला / गोवाला / गोवाले / गवला / यादव/ अहीर
25.	घसियारा, घोसी, घानी/घाजी, गोसियारा अथवा घोसिया
26.	चहंग तथा बहती सहित धीरथ
27.	ग्वारिया, गौरिया अथवा ग्वार
28.	हज्जाम/ हजाम, नाई, नाईस
29.	झांग्र-ब्राहमण/ झांगरा- ब्राहमण/ जंगा-ब्राहमण, खटी
30.	जोगी, नाथ
31.	जुल्लाह/ जुलाहा (बुनकर) (अनुसूचित जाति में जो हैं उन्हें छोड़कर)
32.	कम्बोज
33.	कंजर, कंचन
34.	कुम्हार / कुमहार
35.	कुर्मी, कुम्मी
36.	खघेंरा
37.	कुचबंद
38.	लबना, वनजारा
39.	लखेरा, मनिहार, कनिहार
40.	मदारी
41.	मोची (अनुसूचित जाति में जो हैं उन्हें छोड़कर)
42.	मिरासी
43.	नल्बन्द
44.	नार
45.	नुंगर
46.	पिंजा, पेंजा, पेम्जा (हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई)
47.	राय- सिख
48.	रेचबन्द
49.	रेहर, रेहारे / रेहारा, रेर /रे, रेहार्ड
50.	शोरगीर
51.	सिंघीकान्त, सिंगीवाला / सिंघीवाला, सिंघीकार, सिंघवाला
52.	सोई
53.	तेली

54.	ठठेरा / ठेठेरा, तमेरा
55.	भर, राजभर
56.	रामगढ़िया
57.	गुज्जर
58.	सैनी
59.	सोनी, सुनार / स्वर्णकार, दौला, सोनी बरदेरी
60.	लोहार (हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई)

सेवाओं में आरक्षण :- सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण उपबंधित किया जाएगा।

* प्रवेश में आरक्षण:- चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के नियंत्रणाधीन सभी उच्च शैक्षणिक/तकनीकी/चिकित्सा संस्थानों, और केंद्रीय सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों जो कि चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, में संघ राज्यक्षेत्र पूल के अधीन प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ताईस प्रतिशत आरक्षण उपबंधित किया जाएगा, जिसे चरणबद्ध रूप से 6 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा जो निम्नानुसार है :-

*	प्रथम वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पांचवा वर्ष	छठा वर्ष
	3%	4%	4%	5%	5%	6%
संचयी मूल्य	3%	7%	11%	16%	21%	27%”

[फा. सं. यू-11020/3/2025-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

उपाबंध

भाग - I

हरियाणा सरकार

विधि एवं विधायी विभाग

अधिसूचना

12 मई, 2016

संख्या विधान 18/2016.- हरियाणा राज्य विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 1 अप्रैल, 2016 को हरियाणा के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

2016 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15

हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2016

अधिनियम

हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषय।

हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में यह निम्नानुसार अधिनियमित होगा।

संक्षिप्त नाम	1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2016 है।	
परिभाषाएँ.	2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (क) "नियुक्ति" से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति अभिप्रेत है; (ख) "पिछड़े वर्ग" से नागरिकों के ऐसे वर्ग जो अनुसूची I, II या III में विनिर्दिष्ट हैं अभिप्रेत है; (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से राज्य के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने या सेवाओं में नियुक्ति करने के लिए यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकरण या राज्य द्वारा धारा 8 और 9 के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी, अभिप्रेत है; (घ) "क्रीमी लेयर" से पिछड़े वर्गों के अधीन व्यक्तियों का ऐसा वर्ग अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करे; (ड.) "शैक्षणिक संस्थान" से सरकार द्वारा स्थापित और अनुरक्षित शिक्षा प्रदान करने वाली या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली कोई भी संस्था अभिप्रेत है, और इसमें सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान शामिल हैं; (च) "सरकार" से हरियाणा राज्य सरकार अभिप्रेत है; (छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; (ज) "अनुसूची" से इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत है; और (झ) "सेवाओं" से सरकार, राज्य विधानमंडल, स्वायत्त शासन की किसी संस्था, किसी स्थानीय प्राधिकरण, राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी या ऐसे किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन और इसमें शामिल सेवाएं अभिप्रेत है।	
सेवाओं में आरक्षण.	3. नियुक्ति करते समय, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षण किया जाएगा।	
शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण	4. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देते समय अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षण दिया जाएगा।	

क्रीमी लेयर के संबंध में प्रतिबंध	**5.** (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित कोई भी व्यक्ति- (क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों पर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा; या (ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण का दावा करने या नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होगा। (2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, सामाजिक, आर्थिक और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जैसा उचित समझा जाए, पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को क्रीमी लेयर के रूप में शामिल करने और उनकी पहचान करने के लिए मानदंड निर्दिष्ट करेगी। (3) उपधारा (2) के अधीन नियत मानदण्डों की प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्विलोकन किया जायेगा।	
समस्तरीय आरक्षण	**6.** इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार पिछड़े वर्गों के अंतर्गत ऐसे वर्ग या व्यक्तियों के वर्गों के लिए समस्तरीय आरक्षण करेगी, जैसा वह समय-समय पर आवश्यक समझे।	
प्रवेश के लिए आरक्षित स्थानों को अगले वर्ष के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।	**7.** जहां किसी अकादमिक वर्ष में शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान अपेक्षित अहर्ताएं रखने वाले अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भरी नही जाती हैं तो उन स्थानों को शैक्षणिक संस्थान द्वारा उस वर्ष के लिए ऐसे प्रवेश की अंतिम सूची को डिस्पले के बाद, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।	
प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।	**8.** (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी। (2) सक्षम प्राधिकारी, धारा 3 और धारा 4 के प्रयोजनार्थ अनुसूची के निबंधन अनुसार, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जाति पहचान प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी। (3) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्य का निष्पादन करेगा, जैसा विहित किया जाए। (4) सक्षम प्राधिकारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।	

	9. अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति, धारा 3 और धारा 4 के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति पहचान प्रमाण पत्र द्वारा अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करेगा।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहचान प्रमाण पत्र।
	10. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सक्षम प्राधिकारी, सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।	सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई हेतु संरक्षण।
	11. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:	कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
	परन्तु कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।	
	12. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाएगी। (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्रता से, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।	नियम बनाने की शक्ति।
	13. सरकार, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस वर्ष के अवसान पर और तत्पश्चात प्रत्येक उत्तरवर्ती दस वर्ष की अवधि पर, अनुसूची का पुनरीक्षण करेगी।	अनुसूची का पुनर्विलोकन।
	14. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में या किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।	अध्यारोही प्रभाव।
	15. किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सेवाओं में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा किया गया आरक्षण और ऐसे आरक्षण के आधार पर की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार विधिमान्य रूप से की गई और हमेशा से की गई समझी जाएगी, मानो, यह अधिनियम उन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत था जब ऐसा आरक्षण किया गया था और ऐसी बात की गई थी या ऐसी कार्रवाई की गई थी।	विधिमान्यकरण।

अनुसूची-1

(धारा 3 और धारा 4 देखिए)

पिछड़ा वर्ग ब्लॉक 'अ'

1. अहेरिया, अहेरी, हेरी, नाइक, थोरी या तुरी, हरि

2. बारा

3. बीटा, हेन्सी या हेसी

4. बागरिया

5. बरवार

6. बरई, तंबोली

7. बरागी, बैरागी, स्वामी साध

8. बैटेरा

9. भरभूंजा, भरभुजा

10. भट, भत्रा, दर्पी, रमिया

11. भुहालिया, लोहार

12. चांगर

13. चिरिमार

14. चांग

15. चिम्बा, छीपी, चिम्पा, दर्जी, रोहिल्ला

16. दईया

17. धोबी/धोबी रजक

18. डाकौत

19. धीमर, मल्लाह, कश्यप-राजपूत, कहार, झीवर, धींवर, खेवट, मेहरा, निषाद, सक्का, भिश्ती, शेख-अब्बासी

20. ढोसाली, दोसाली

21. फकीर

22. ग्वारिया, गौरिया या ग्वार

23. घिरथ

24. घासी, घसियारा या घोसी

25. गोरखा

26. गवाला, गोवाला

27. गड़रिया, पाल, बघेल

28. गढ़ी लोहार

29. हज्जाम, नाई, नाईस, सैन

30. झांगड़ा-ब्राह्मण, खाती, सुथार, धीमान-ब्राह्मण, तारखान, बरहाई, बद्दी

31. जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम-जोगी, योगी

32. कंजर या कंचन

33. कुर्मी

34. कुम्हार, प्रजापति

35. कंबोज

36. खंघेरा

37. कुचबंद

38. लबाना

39. लखेरा, मनिहार, कचेरा

40. लोहार, पांचाल-ब्राह्मण

41. मदारी

42. मोची

43. मिरासी

44. नर

45. नूनगर

46. नालबंद

47. पिंजा, पेन्जा

48. रेहर, रेहरा या रे

49. रायगर

50. राय सिख

51. रेचबंद

52. शोरगीर, शेरगीर

53. सोई

54. सिंघीकांत, सिंगीवाला

55. सुनार, जरगर, सोनी

56. ठठेरा, तमेरा

57. तेली

58. बंज़ारा, बंजारा

59. बुनकर (जुलाहा)

60. बादी/बद्दोन

61. भट्टू/चट्टू

62. मीना

63. रहबारी

64. चरण

65. चाराज (महाब्राह्मण)

66. उदासीन

67. रामगढ़िया

68. रंगरेज, लिलगर, नीलगर, लल्लारी

69. दावाला, सोनी-दावाला, न्यारिया

70. भर, राजभर

71. नट (मुस्लिम)

* सेवाओं में आरक्षण:- तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सोलह प्रतिशत आरक्षण तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में ग्यारह प्रतिशत आरक्षण उपबंधित किया जाएगा ।

* प्रवेश में आरक्षणः शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सोलह प्रतिशत आरक्षण उपबंधित किया जाएगा।

अनुसूची-2

(धारा 3 और धारा 4 देखिए)

पिछड़ा वर्ग ब्लॉक 'आ'

1. अहीर/यादव

2. गुर्जर

3. लोध/लोधा/लोधी

4. सैनी, शाक्य, कोइरी, कुशवाहा, मौर्य

5. मेओ

6. गोसाई/गोसाईं/गोस्वामी

* सेवाओं में आरक्षणः- तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए ग्यारह प्रतिशत आरक्षण तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए छह प्रतिशत आरक्षण उपबंधित किया जाएगा।

* प्रवेश में आरक्षणः शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ग्यारह प्रतिशत आरक्षण उपबंधित किया जाएगा।

अनुसूची-3

(धारा 3 और 4 देखिए)

पिछड़ा वर्ग ब्लॉक 'इ'

1. जाट

2. जाट सिख

3. रोर

4. बिश्नोई

5. त्यागी

6. मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट

*सेवाओं में आरक्षणः तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए दस प्रतिशत तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए छह प्रतिशत आरक्षण उपबंधित किया जाएगा।

*प्रवेश में आरक्षण:- शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए दस प्रतिशत आरक्षण उपबंधित किया जाएगा।

कुलदीप जैन,

सचिव हरियाणा सरकार, विधि एवं विधायी विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2025

S.O. 3598(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016 (HARYANA ACT NO. 15 OF 2016), as in force in the State of Haryana on the date of publication of this notification in the Official Gazette, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

1. Throughout the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), for the words "Backward Classes", the words "Other Backward Classes" shall be substituted.

2. In section 1 of the said Act, after the word and figures "Act, 2016", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

3. For section 2 of the said Act, the following section shall be substituted, namely: -
'2. Definitions.– In this Act, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution;
   (b) "appointment" means an appointment by direct recruitment;
   (c) "competent authority" means an officer or an authority authorised to make admission in educational institutions or appointment in services under the Union territory Administration of Chandigarh or an authority empowered by the Administrator under sections 8 and 9, as the case may be;
   (d) "creamy layer" means such class of persons within the Other Backward Classes as the Central Government may, by notification in the Official Gazette specify for the purposes of this Act;
   (e) "educational institutions" means all the Higher Educational or Technical or Medical Institutions working under the control of Union territory Administration of Chandigarh as well as Government aided Institutions who are getting Grant-in-Aid from Union territory Administration of Chandigarh;
   (f) "Other Backward Classes" means such classes of citizens as specified in the Central list of Other Backward Classes for the Union territory of Chandigarh, issued by the Central Government;
   (g) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
   (h) "services" means the services under the administrative control of Administrator.'.

4. In section 5 of the said Act, -
   (a) in sub-section (1), in clause (b), for the word 'State', the words 'Union territory Administration of Chandigarh' shall be substituted;
   (b) in sub-section 2, for the word "Government", the words "Central Government" shall be substituted;
   (c) sub-section 3 shall be omitted.

5. In section 6 of the said Act, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted.

6. In section 8 of the said Act,-
   (a) in sub-section (1), for the word "Government", the word "Administrator" shall be substituted;
   (b) in sub-section (4), for the words, figures and brackets, "section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), the words, brackets and figures, "sub-section (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023)" shall be substituted.

7. In section 9 of the said Act, for the words "Backward Class", the words, "Other Backward Class" shall be substituted.

8. In section 10 of the said Act, for the word "Government", the word "Administrator" shall be substituted.

9. In section 11 of the said Act, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted.

10. In section 12 of the said Act, -

    (a) in sub-section (1), for the word "Government", the word "Administrator" shall be substituted;

    (b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-
    "(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.".

11. In section 13 of the said Act, for the word "Government", the words "Central Government" shall be substituted.

12. In section 14 of the said Act, the word "State" shall be omitted.

13. In section 15 of the said Act, for the word "Government", the word "Administrator" shall be substituted;

14. In the said Act, for the Schedules -I, II and III, the following Schedule shall be substituted, namely:–

"SCHEDULE

[*See* sections 3, 4, 5, 8, 9 and 13]

CENTRAL LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES FOR THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

Entry No.	Caste/Community
1.	Aheria, Aheri, Heri, Naik, Thori or Turi
2.	Bagria/Bagaria
3.	Bairagi, Baragi/Baregi
4.	Barai, Tamboli/ Tomboli, Tarboli
5.	Barra, Berrer
6.	Barwar
7.	Batera/Battera
8.	Beta, Hensi/Hansi or Hasi
9.	Bharbhunja, Bharbhuja, Bharbhuria
10.	Bhat, Bhatra, Darpi, Ramiya
11.	Bhuhalia-Lohar, Bhubalia-Lohar
12.	Chang, Chahang
13.	Changar, Chamgar
14.	Chhimba/Chimba Chhippi/ Chhipi/ Chippi, Darji/Darj, Tank, Chimpa, Chiba (Hindu, Muslim, Sikh, Christian)
15.	Chirimar/Chrimar
16.	Christian converted from Scheduled Castes

17.	Daiya
18.	Dakaut/Dahakaut
19.	Dhimar, Dhinwar, Jhinwar, Kahar, Mallah, Kasye Rajputs
20.	Dhobi
21.	Dhosali, Dosali, Bhosali (Hindu, Muslim, Sikh, Christian)
22.	Faquir
23.	Gadaria/Gaddaria, Gadderia
24.	Gawala/Gwala/Gowala/Gowale/ Gawla/ Yadav/Ahir
25.	Ghasiara, Ghosi, Ghani/Ghazi, Goasiara or Ghosia
26.	Ghirath including Chahng & Bahti
27.	Gwaria, Gauria or Gwar
28.	Hajjam/Hazam, Nai, Nais
29.	Jhangra-Brahman/Jhangara-Brahman/ Jangra-Brahman, Khati
30.	Jogi, Nath
31.	Jullaha/Julaha(Weavers) (excluding those in Scheduled Caste)
32.	Kamboj
33.	Kanjar, Kanchan
34.	Kumhar/Kumahar
35.	Kurmi, Kummi
36.	Khanghera
37.	Kuchband
38.	Labana, Vanzara
39.	Lakhera, Manihar, Kanihar
40.	Madari
41.	Mochi (excluding those in Scheduled Caste)
42.	Mirasi
43.	Nalband
44.	Nar
45.	Noongar
46.	Pinja, Penja, Pemja (Hindu, Muslim, Christian, Sikh)
47.	Rai-Sikh
48.	Rechband
49.	Rehar, Rehare/Rehara, Rer/Re, Rehard
50.	Shorgir
51.	Singhikant, Singiwala/Singhiwala, Singhikar, Singhwala
52.	Soi
53.	Teli
54.	Thathera/Thethera, Tamera
55.	Bhar, Rajbhar
56.	Ramgarhia
57.	Gujjar
58.	Saini

59.	Soni, Sunar/Swarnakar, Daula, Soni Barderi
60.	Lohar (Hindu, Muslim, Sikh, Christian)

Reservation in services.– Twenty-seven per cent. reservation shall be provided to Other Backward Classes in services.
* Reservation in admissions.– Twenty-seven per cent. reservation shall be provided to Other Backward Classes in admissions under the Union territory Pool in all the Higher Educational or Technical or Medical Institutions working under the control of Union territory Administration of Chandigarh and the Central Government Aided Institutions who are getting Grant-in-Aid from Union territory Administration of Chandigarh, which shall be implemented over a staggered period of six years, as under:–

*	1st year	2nd year	3rd year	4th year	5th year	6th year
	3%	4%	4%	5%	5%	6%
Cumulative value	3%	7%	11%	16%	21%	27%.".

[F. No. U-11020/3/2025-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

ANNEXURE

HARYANA GOVERNMENT

LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 12th May, 2016

No. Leg.18/2016.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 1st April, 2016 and is hereby published for general information:-

HARYANA ACT NO. 15 OF 2016.

THE HARYANA BACKWARD CLASSES (RESERVATION IN SERVICES AND ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS) ACT, 2016.

AN

ACT

To provide for reservation in services and admission in educational institutions to persons belonging to Backward Classes in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.	**1.** This Act may be called the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admissions in Educational Institutions) Act, 2016.
Definitions.	**2.** In this Act, unless the context otherwise requires,- (a) "appointment" means an appointment by direct recruitment; (b) "Backward Classes" means such classes of citizens as specified in Schedule I, II or III; (c) "competent authority" means an officer or an authority authorised to make admission into educational institutions or appointment in services under the State or an authority empowered by the State under sections 8 and 9, as the case may be; (d) "creamy layer" means such class of persons within the Backward Classes as the State Government may, by notification in the Official Gazette specify for the purposes of this Act; (e) "educational institutions" means any institution imparting education, established and maintained by the Government, or receiving aid out of the State funds, and includes Government/Government Aided Technical and Professional

	Institutions; (f) "Government" means the Government of the State of Haryana; (g) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act; (h) "Schedule" means the Schedules appended to this Act; and (i) "services" means and includes the services under the Government, the Legislature of the State, any institution of Self Government, any local authority, any corporation or company owned or controlled by the State or any such other authority.
Reservation in services.	**3.** While making appointment, reservation shall be made for the members of the Backward Classes as specified in the Schedule.
Reservation in educational institutions.	**4.** While making admissions in educational institutions, reservation shall be made for the members of the Backward Classes as specified in the Schedule.
Restrictions with regards to creamy layer.	**5.** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, no person belonging to the creamy layer of Backward Classes shall be— (a) considered for admission in educational institutions against the seats reserved therein for Backward Classes as specified in the Schedule; or (b) entitled to claim reservation in or be considered for appointment in services under the State against the posts reserved for Backward Classes as specified in the Schedule. (2) The Government shall, by notification, after taking into consideration social, economic and such other factors, as deemed appropriate, specify the criteria for exclusion and identification of persons belonging to the Backward Classes as creamy layer. (3) The criteria fixed under sub-section (2) shall be reviewed every three years.
Horizontal reservation.	**6.** Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may provide for horizontal reservation for such category or categories of persons within Backward Classes, as it may deem necessary from time to time.
Seats for admission not to be carried forward to next year.	**7**. Where the seats reserved for Backward Classes for admission in educational institutions are not filled up in any academic year due to non-availability of candidates possessing the requisite qualifications, the same shall, after the display of the final list of such admissions for that year, be made available to candidates of general categories by the educational institution.
Competent authority to issue certificate.	**8.** (1) The Government may, by notification, appoint any officer to be the competent authority for the purposes of carrying out the provisions of this Act. (2) The competent authority may, for the purposes of sections 3 and 4, issue caste identification certificate in terms of Schedule in such manner, as may be prescribed. (3) The competent authority shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed. (4)The competent authority shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).
Certificate of identification by competent authority.	**9.** A person belonging to the Backward Class as specified in the Schedule shall, for the purposes of sections 3 and 4, support his candidature by a certificate of caste identification issued by the competent authority.
Protection of action taken in good faith.	**10.** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the competent authority, officers of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act, or any rule or order made thereunder.
Power to remove difficulties.	**11.** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty: Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.
Power to make rules.	**12.** (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

	(2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made or issued, be laid before the State Legislature.
Review of Schedule.	**13.** The Government shall at the expiration of ten years from the coming into force of this Act and at every succeeding period of ten years thereafter, undertake revision of the Schedule.
Overriding effect.	**14.** The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any such law.
Validation	**15.** Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or other authority, the reservation made, and anything done or any action taken on the basis of such reservation, by the Government for admission to educational institutions and for appointment in the services for the Backward Classes on the date of coming into force of this Act, shall, for all purposes be deemed to be and to have always been, validly made, done or taken in accordance with law, as if this Act had been in force at all material times when such reservation has been made and such thing done or action taken.

SCHEDULE-1

(See sections 3 and 4)

BACKWARD CLASS BLOCK 'A'

1. Aheria, Aheri, Heri, Naik, Thori or Turi, Hari
2. Barra
3. Beta, Hensi or Hesi
4. Bagria
5. Barwar
6. Barai, Tamboli
7. Baragi, Bairagi, Swami Sadh
8. Battera
9. Bharbhunja, Bharbhuja
10. Bhat, Bhatra, Darpi, Ramiya
11. Bhuhalia, Lohar
12. Changar
13. Chirimar
14. Chang
15. Chimba, Chhipi, Chimpa, Darzi, Rohilla
16. Daiya
17. Dhobi /Dhobi Rajak
18. Dakaut
19. Dhimar, Mallah, Kashyap- Rajpoot, Kahar, Jhiwar, Dhinwar, Khewat, Mehra, Nishad, Sakka, Bhisti, Sheikh-Abbasi
20. Dhosali, Dosali
21. Faquir
22. Gwaria, Gauria or Gwar
23. Ghirath
24. Ghasi, Ghasiara or Ghosi
25. Gorkhas
26. Gawala, Gowala
27. Gadaria, Pal, Baghel
28. Garhi Lohar
29. Hajjam, Nai, Nais, Sain
30. Jhangra-Brahman, Khati, Suthar, Dhiman-Brahmin, Tarkhan, Barhai, Baddi
31. Joginath, Jogi, Nath, Jangam-Jogi,Yogi
32. Kanjar or Kanchan
33. Kurmi
34. Kumhars, Prajapati
35. Kamboj
36. Khanghera
37. Kuchband

38. Labana
39. Lakhera, Manihar, Kachera
40. Lohar, Panchal-Brahmin
41. Madari
42. Mochi
43. Mirasi
44. Nar
45. Noongar
46. Nalband
47. Pinja, Penja
48. Rehar, Rehara or Re
49. Raigar
50. Rai Sikhs
51. Rechband
52. Shorgir, Shergir
53. Soi
54. Singhikant, Singiwala
55. Sunar, Zargar, Soni
56. Thathera, Tamera
57. Teli
58. Banzara, Banjara
59. Weaver (Jullaha)
60. Badi/Baddon
61. Bhattu/Chattu
62. Mina
63. Rahbari
64. Charan
65. Chaaraj (Mahabrahman)
66. Udasin
67. Ramgarhia
68. Rangrez, Lilgar, Nilgar, Lallari
69. Dawala, Soni-Dawala, Nyaaria
70. Bhar, Rajbhar
71. Nat (Muslim)

* Reservation in services: -Sixteen percent reservation shall be provided for Class III and IV posts and eleven percent in Class I and II posts.

* Reservation in admissions:- Sixteen percent reservation shall be provided for admissions in educational institutions.

SCHEDULE-II

(See sections 3 and 4)

BACKWARD CLASS BLOCK 'B'

1. Ahir/Yadav
2. Gujjar
3. Lodh/Lodha/Lodhi
4. Saini, Shakya, Koeri, Kushwaha, Maurya
5. Meo
6. Gosai/Gosain/Goswami

***** Reservation in services: - Eleven percent reservation shall be provided for Class III and IV posts and six percent in Class I and II posts.

***** Reservation in admissions: - Eleven percent reservation shall be provided for admissions in educational institutions.

SCHEDULE-III

(See sections 3 and 4)

BACKWARD CLASS BLOCK 'C'

1. Jat
2. Jat Sikh
3. Ror
4. Bishnoi
5. Tyagi
6. Mulla Jat/Muslim Jat

***** Reservation in services: - Ten percent reservation shall be provided for Class III and IV posts and six percent in Class I and II posts.

***** Reservation in admissions: - Ten percent reservation shall be provided for admissions in educational institutions.

KULDIP JAIN,

Secretary to Government, Haryana,
Law and Legislative Department

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.08.01 22:38:59 +05'30'